(29)

राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट शाखा रीवा, सम्भाग रीवा (म0प्र0)

R. 5114-दो/16

1. श्याम सुन्दर पाण्डेय तनय रामाश्रय पाण्डेय उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मड़रहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
2. रामाश्रय पाण्डेय तनय सहदेव प्रसाद पाण्डेय उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम मड़रहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

............................निगरानीकर्तागण

बनाम

रामसिरोमणि पाण्डेय तनय राजनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम मड़रहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

............................गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा के आदेश दिनांक 05.01.2016 प्रकरण क्रमांक 5–अ/12/2015–16 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षेप में तथ्य निम्न है :–

01. यह कि निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता आपस में एक ही परिवार के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5114–दो/16 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5/अ–12/15–16 में पारित आदेष दिनांक 05–1–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 29–12–15 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया जिसपर सरहदी कास्तकारों सहित आवेदक श्यामसुन्दर पाण्डे के हस्ताक्षर अंकित है। सीमांकन के समय एवं सीमांकन आदेश की पुष्टि के समय किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 5–1–16 को सीमांकन की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक उक्त सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तो स्वयं की भूमि का भूमि का	

सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य